न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/208/2013

उनवान

1. नन्दु गुर्जर पत्नि भैरू लाल गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. भँवर लाल पिता उदा गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. नारायण पिता हरला गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. रणजीत पिता हरला गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. गोपाल पिता हरला गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. हरकू बेवा हरला गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. मोहन पिता बालु कुम्हार निवासी लाडी जी का खेडा तहसील जहाजपुर के बजाय :
   6/1 भँवर लाल पिता स्व0 मोहनलाल गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर
   6/2 हरनाथ पिता स्व0 मोहनलाल गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
7. नारायण पिता बालु कुम्हार हाल निवासी खिणीया तहसील हिन्डोली जिला बुन्दी राजस्थान

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. मु0 छाऊ बाई पुत्री बालु कुम्हार निवासी खिणीया तहसील हिन्डोली जिला बुन्दी राजस्थान
9. मु0 लाड बाई पुत्री बालु कुम्हार निवासी लाडीजी का खेडा हाल निवासी खिणीया तहसील हिन्डोली जिला बुन्दी राजस्थान
10. मु0 अलोल बाई पुत्री बालु कुम्हार निवासी लाडीजी का खेडा हाल निवासी खिणीया तहसील हिन्डोली जिला बुन्दी राजस्थान
11. मु0 घीसी पुत्री भैरू लाल गुर्जर निवासी लादु तहसील हिन्डोली जिला बुन्दी राजस्थान
12. सोहनी बेवा लादु गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा मृतक के बजायः—
    12/1 चिन्ता पत्नी ईश्वर गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा
    12/2 रामगणी पत्नि रामकिशन गुर्जर निवासी लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 90/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.7.2013

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री मनीष कांटिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री नवरतन मल जोशी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 6,7
3. श्री नीरज पाराशर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2,5
4. श्री हिमांशु ओझा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 23.12.2019

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली ग्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाडी जी का खेडा पटवार हल्का मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में कृषि आराजी नम्बर 161 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, जो आराजी चाह संख्या 163 से सिंचित होता है एवं आराजी खसरा संख्या 164/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 के खाते में दर्ज है तथा वादी संख्या 1 भॅवरलाल के भाई रामलाल के खाते है राम लाल फौत हो गया । जिसका विधिक वारिस वादी संख्या 1 भॅवरलाल है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजियात एवं आराजी खसरा नम्बर 163 आता चाह को वादी सख्या 1 से 4 के दादा, 5 के ससूर व प्रतिवादी संख्या 7 के दादा व प्रतिवादी संख्या 8 के दादी ससूर चन्द्रा पिता बख्तावर गुर्जर ने जरिये पजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 29.5.1962 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता बालू उर्फ बालिया पिता कालू कुम्हार से प्रतिफल देकर खरीद कर लिया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर पटवार हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 15 को सही मानकर भू अभिलेख निरीक्षक ने सही रिपोर्ट पेश की परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा द्वारा आराजी नम्बर 164 व161 का खाता रद्दोबदल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी परन्तु गलती से आराजी नम्बर 163 आता चाह लिखने से रह गया जबकि नामान्तरकरण राजस्व रेकार्ड के पटवार हल्का भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट सही की परन्तु गलती से फैसल करते वक्त आता चाह खसरा संख्या 163 लिखने से रह गया व पंजीकृत विक्रय पत्र के बावजूद आराजी खसरा संख्या 163 आता चाह प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता के नाम ही रह गया जबकि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि व आता चाह पर सन् 1962 से निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग वादीगण के पूर्वज व वादीगण का चला आ रहा है तथा वादी सख्या 1 ने वर्षो पूर्व आता चाह पर विद्युत कनेक्शन अपने नाम लेकर कुंए पर मोटर लगाकर सिंचाई करता आ रहा है । आता चाह 163 के पानी का उपयोग उपभोग भी आज तक आराजी खसरा नम्बर 161 में होता आ रहा है । परन्तु आता चाह 163 में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता का नाम रह जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आता चाह 613 को

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 24.1.2011 को प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दिया । यह बेचान शुरू से ही शून्य प्रभावी है क्योंकि यह आता चाह पहले से ही विक्रय हो चुका है । जिसको वैध रूप सेबेचने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को नही है तथा प्रतिवादी संख्या 6 भी जानती थी कि कुए पर 1962 से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग वादीगण का है फिर भी प्रतिवादी संख्या 6 ने अवैध रूप से आता चाह 163 को क्रय कर एक झगडा मोल लिया है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7, 8 आता चाह 163 को अपने नाम खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। गांव लाडी जी का खेड पटवार हल्का मनोहर पुरा तहसील जहाजपुर स्थित आता चाह 163 रकबा 4 बिस्वा वादीगण के पूर्वज चन्द्रा पिता बख्तावर गुर्जर के खाते में नहीं आने की जानकारी सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 6 के पति भैरूलाल द्वारा दिनांक 28.1.2011 को वादीसंख्या 1 को धमकी देने पर हुई। जिस पर राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त कर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः गांव लाडी जी का खेडा पटवार हल्का मनोहर पुरा तहसील जहाजपुर की आराजी चाह नम्बर 163 रकबा 4 बिस्वा पर खातेदार काश्तकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 6 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को पाबन्द किया जावे कि वे व ग्राम लाडीजी का खेडा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 161 164/1, आता चाह 163 में वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें एवं न किसी अन्य से करावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत सम्मन की तामील नहीं कराई गई। जिससे अपीलार्थी/प्रतिवादी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी । अपीलार्थी के विरूद्ध एमतरफा निर्णय पारित किया गया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज येाग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 ने अपीलार्थीया के विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की सत्यता की जांच की। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी सद्भाविक क्रेता है जिसने समस्त राजस्व रिकार्ड देखकर आराजी संख्या 163 आता चाह व 164/2 को क्रय किया । आराजी नम्बर 163 आता चाह व 164/2 का कब्जा प्राप्त कर शांतिपूर्वक उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है । प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 व 11, 12 ने कभी भी आराजी नम्बर 163 का उपयोग उपभोग नहीं किया न ही उनका कोई हक अधिकार है फिर भी अधीनस्थ

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण ने अपने वाद में बताया कि दिनांक 29.5. 1962 को उनके दादा द्वारा आता चाह नम्बर 163 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता बालु उर्फ बालिया से क्रय करना बताया । जिसे करीब 50–55 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इतने लम्बे समय तक उन्हें उक्त आता चाह 163 को अपने नाम पर क्यों नहीं दर्ज करवाया व यह भी संभव नहीं है कि करीब 50–55 वर्ष तक प्रत्यर्थी को राजस्व रेकार्ड की आवश्यकता नहीं पडी हो न ही प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड देखा गया हो। यह नहीं माना जासकता है। इन तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है । वह विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जावे कि प्रकरण मे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आता चाह 613 अन्य आराजियात के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के दादा जी को प्रत्यर्थी संख्या 6, 7, के पिता बालु उर्फ बालिया द्वारा दिनांक 29.5.1962 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। जिसका उपयोग उपभोग प्रत्यर्थीगण/वादीगण करते चले आ रहे थे। परन्तु राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं किये जाने से पुनः आता चाह नम्बर 163 को अपीलार्थी को विक्रय कर दिया गया। जिसका विक्रय करने का अधिकार बालु उर्फ बालिया को

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नहीं था। वादग्रस्त आता चाह 163 विक्रय किये जाने की जानकारी अपीलार्थी को थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की वहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 163 आता चाह को वादी सख्या 1 से 4 के दादा, 5 के ससूर व प्रतिवादी संख्या 7 के दादा व प्रतिवादी संख्या 8 के दादी ससूर चन्द्रा पिता वख्तावर गुर्जर ने जरिये पजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 29.5.1962 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता वालू उर्फ बालिया पिता कालू कुम्हार से प्रतिफल देकर खरीद कर लिया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर पटवार हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 15 को सही मानकर भू अभिलेख निरीक्षक ने सही रिपोर्ट पेश की परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा द्वारा आराजी नम्बर 164 व161 का खाता रद्दोवदल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी परन्तु गलती से आराजी नम्बर 163 आता चाह लिखने से रह गया जबकि नामान्तरकरण राजस्व रेकार्ड के पटवार हल्का भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट सही की परन्तु गलती से फैसल करते वक्त आता चाह खसरा संख्या 163 लिखने से रह गया व पंजीकृत विक्रय पत्र के बावजूद आराजी खसरा संख्या 163 आता चाह प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता के नाम ही रह गया जबकि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि व आता चाह पर सन् 1962 से निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग वादीगण के पूर्वज व वादीगण का चला आ रहा है तथा वादी सख्या 1 ने वर्षो पूर्व आता चाह पर विद्युत कनेक्शन अपने नाम लेकर कुंए पर मोटर लगाकर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सिंचाई करता आ रहा है। आता चाह 163 के पानी का उपयोग उपभोग भी आज तक आराजी खसरा नम्बर 161 में होता आ रहा है। परन्तु आता चाह 163 में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता का नाम रह जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आता चाह 163 को दिनांक 24.1.2011 को प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दिया । यह बेचान शुरू से ही शून्य प्रभावी है क्योंकि यह आता चाह पहले से ही विक्रय हो चुका है । जिसको वैध रूप सेबेचने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को नही है तथा प्रतिवादी संख्या 6 भी जानती थी कि कुए पर 1962 से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग वादीगण का है फिर भी प्रतिवादी संख्या 6 ने अवैध रूप से आता चाह 163 को क्रय कर एक झगडा मोल लिया है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7, 8 आता चाह 163 को अपने नाम खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2064 से 2067 प्रदर्श 2 में वादग्रस्त आता चाह नम्बर 163 रकबा 0.04 बालु पिता कालु कुम्हार के नाम दर्ज रेकार्ड है। जबकि वादीगण का कथन है कि उक्त खातेदार से वादीगण के दादा जी द्वारा अन्य आराजियात के साथ क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। राजस्व रेकार्ड में उक्त आता चाह व अन्य आराजी नम्बर 164/2 बालु आत्मज कालु कुम्हार के नाम जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में दर्ज होने से अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या नन्दु गुर्जर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दिनांक दिनांक 24.1.2011 को विक्रेता मोहन, नारायण आत्मज बालु, छाव बाई , लाड बाई, अलोल बाई, पुत्री बालु कुम्हार से क्रय किया गया है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 560 दिनांक 5.2.2011 से

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीया के नाम आता चाह नम्बर 163 रकबा 0.04 गैर मुमकिनआता चाह एवं आराजी नम्बर 164/2 रकबा 2.08 जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में अपीलार्थीया के नाम दर्ज किया गया है। जिसकी फोटो प्रति अपीलार्थीया ने अपील के साथ प्रस्तुत की है।

12. जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण पंजिका की प्रमाणित फोटो प्रति में अंकन किया गया है कि खातेदारउपस्थित है मगर उसकी तरफ से विक्रय पत्र रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 31.5.62 का खरीददार के हक में करवा दिया गया है जो आराजी नम्बर 164/2 आराजी नम्बर 161 एवं163 रकबा 0.04 का हिस्सा पर कब्जा चन्द्रा काकब्जा होना जाहिर हुआ है । इन्द्राज इन्तकाल दुरूस्त है जो खाता रद्दोवदल करवाया जावे। विक्रय पत्र में भी वादग्रस्त आता चाह का विक्रय किया जाना भी प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व बिकाव के आधार पर एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में वर्तमान राजस्व रेकार्ड 2064 से 2067 में वादग्रस्त आता चाह 163 रकबा 0.04 अपीलार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उसके द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार द्वारा अन्य आराजी नम्बर 164/2 रकबा 2 .08 के साथ वादग्रस्त आता चाह नम्बर 163 को क्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रतिवादी को भी सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र 11.2.2011 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। उसके उपरान्त लगातार दिनांक 5.4.2011, 29.6.2011, 219.2011, 19.12.2011 की नियत पेशी पर कोई न्यायालय कार्य नहीं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

होना जाहिर हुआ है। दिनांक 19.12.2011 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.7.2012 नियत की गई थी। उक्त नियत तारीख दिनांक 17.7.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 , 8 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन किया गया । जिसकी पुश्त पर प्रतिवादी संख्या 6 नन्दू को जारी नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा यह लिखा गया है कि नन्दू बाहर होनेसे नोटिस की प्रति मय नकल दावा के उसके पति को दी गई। उक्त नोटिस की पुश्त पर अंगूठा निशानी करवाई गई है। उक्त नोटिस की पुश्त पर अंगूठा निशानी भैरू की होने का अंकन किया गया है। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसे प्रोपर नोटिस की तामील नहीं करवाई गई थी। जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहान, दस्तावेज के आधार पर पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक29.7.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27/1/2020 को उपस्थित रहें।

14. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपीली प्राधिकारी, भीलवाड़ा